Form No 111
फर्म अहकाम
(नियम 15)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम.:– राजाखेडा

प्रिया वगै0 बनाम सोवरनसिंह वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र U/S 212 R.T.Act नम्बर 91 **सन्** 23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.2023	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं सायल के सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसालयान को दिनांक 05.10.2023 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0नं0 961, 898, 862, 863, 864 स्थित ग्राम बाबरपुर तहसील राजाखेडा पर रहन, वय–मुन्तकिल नहीं करें, रिकार्ड एवं मौके की यथा–स्थिति बनायें रखें। इस संबंध में उन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05.10.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05.10.2023 को पेश हो।	
22/9/23	पत्रावली सायलान की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मूलवाद के साथ पेश हुई। सायल द्वारा अपना मूल राजस्व वाद प्रार्थना-पत्र के आधार पर खारिज करवा लिया है। ऐसी स्थिति में प्रा०पत्र अन्तर्गत 212 RTA में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। अतः प्रा०पत्र 212 RTA मूल वाद की रोशनी में खारिज किया जाता है। दिनांक 4/9/23 को जारी T.I. को निरस्त करने बावत तहसीलदार राजाखेडा को परवाना जारी हो। पत्रावली केशल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	[illegible]